अतिमहत्वपूर्ण

संख्या–254 / 9–आ–5–2001–14विविध / 2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग – 5 लखनऊ : दिनाँक – 12 फरवरी, 2001

विषयः प्राधिकरणों में विभिन्न शाखाओं के अधीन एक ही पटल पर लम्बी अवधि से कार्यरत कार्मिकों के स्थानांतरण एवं उनकी तैनाती के संबंध में नीति निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में आया है कि प्राधिकरणों के अधीन विभिन्न संवर्गों यथा–अभियंत्रण, प्रशासनिक (सम्पत्ति, नियोजन, लेखा, उद्यान, विधि आदि) में विभिन्न स्तर के कार्मिक एक लम्बी अवधि से कार्यरत हैं तथा पूर्व में प्राधिकरण स्तर से यदि इन्हें स्थानांतरित कर अन्यत्र तैनात करने का प्रयास किया गया है तो वे पुनः अपनी पूर्व तैनाती के स्थान पर आने हेतु ऐन–केन–प्रकारेण प्रयास करते हैं। इसके साथ ही एक स्थान पर कार्य करते–करते संबंधित कार्मिकों की अभिवृत्ति एवं कार्य शैली में भी सुधार नहीं हो पाता है। विशेष तौर से प्राधिकरणों में सम्पत्तियों के आवंटन, निस्तारण व इनके निबन्धन आदि से जुड़े कार्मिकों के एक ही पटल से लम्बी अवधि तक जुड़े रहने के कारण अनियमितितायें होने की सम्भावनायें बढ़ती हैं और जनता के लोगों से भी समय–समय पर इस संबंध में शिकायतें प्राप्त होती रहती है। इस प्रकार संस्था के मूलभूत उद्देश्यों एवं जनहित की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से बाधायें उत्पन्न होती हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। यदि समय रहते उक्त स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण करते हुये एक ही स्थान पर लम्बी अवधि से तैनात कार्मिकों के विषय में निर्णय नहीं लिया जाता है तो संस्था के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूरी सम्भावना है।

2. उपर्युक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राधिकरणों / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में विभिन्न शाखाओं / अनुभागों में लम्बी अवधि से तैनात कर्मियों का तत्काल चिन्हीकरण करते हुये उन्हें हटाया जाये। इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी कार्मिक को एक सीट पर अधिकतम् 02 वर्ष (दो) तथा शाखा / अनुभाग में तीन वर्ष (03) तक रखा जाये। उक्त अवधि से अधिक की अवधि से कार्यरत कार्मिकों को हटाये जाने के उपरान्त उन्हें किसी भी परिस्थिति में पूर्व तैनाती के स्थान नहीं रखा जाये। इन आदेशों का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा इस संबंध में त्रैमासिक सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या – 254 / 9–आ–5–2001–14विविध / 2001–तद्दिनांक

प्रतिलिपि – समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्षों को इस अनुरोध के साथ कि इसके अनुपालन की समीक्षा अपने स्तर पर कर लें।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव